


उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या- /2015/146(120)/XXVII(8)/07  
देहरादून:: दिनांक 22 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड, राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तात्कालिक प्रभाव से घरेलू रसोई गैस के विक्रेता को, इसकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर, भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि छूट की धनराशि का लाभ क्रेता को प्राप्त होगा।


  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

संख्या-02 /2015/146(120)/XXVII(8)/07 तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों/कर अधिवक्ताओं, तेल कम्पनियों व करदाताओं को अवगत करा दे।
- 2- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 150-150 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 को अभिलम्ब उपलब्ध करा दे।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0।
- 6- गार्ड फाइल।

  
19/04  
अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड देहरादून

  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication to order the publication of the following English translation of the Notification NO. 02/2015/146(120)/XXVII(8)/07 dated 22 April 2015 for general information.

**Government Of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**NO 02/2015/146(120)/XXVII(8)/ /2007**  
**Dehradun:Dated:22, April,2015**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THE T E F O R E, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act NO.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow with immediate effect a full rebate of tax, on the amount of subsidy granted by the Government of India, to the seller of Liquefied Petroleum Gas (L.P.G) for domestic use at every point of sale on the condition that the rebate is passed on to the purchaser.

*Bhaskaranand*  
**(Bhaskaranand)**  
Secretary